Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP,
Ludhiana, Shimla,
Bihar, Jammu, Jaipur
Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

# Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

Mon - 22 Jun - 2026 | Year - 01 | Issue - 77 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

## कैबिनेट के बड़े फैसले: निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर 5% सीमा, उद्योगों को राहत और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा

चंडीगढ़, 22 जून : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों, अभिभावकों, उद्योग जगत और आम जनता के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने तथा प्रशासनिक सेवाओं को लोगों के नजदीक पहुंचाने के उद्देश्य से अहम निर्णय लिए।

सबसे महत्वपूर्ण फैसले के तहत कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026' को मंजूरी दी। यह अध्यादेश 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016' में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा। नए प्रावधानों के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अब बिना अनुमति के सालाना अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। इससे अधिक फीस वृद्धि के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से फीस ढांचे में पारदर्शिता आएगी, मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी और अभिभावकों व विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी।

औद्योगिक क्षेत्र को राहत देते हुए कैबिनेट ने राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत कैपिटल सब्सिडी और निवेश प्रोत्साहनों के वितरण संबंधी 13 नवंबर 2019 के दिशानिर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी। संशोधित प्रावधानों के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद पूंजी सब्सिडी जारी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले और उद्योगों को समयबद्ध लाभ प्राप्त हो सके।

डिजिटल प्रशासन को नई दिशा देते हुए पंजाब में स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म (एसडीआईपी) लागू करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के डेटाबेस को एक-दूसरे से जोड़ा जाएगा, जिससे सूचनाओं के दोहराव को समाप्त करने और सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन-स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे।

जनसुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने जिला होशियारपुर के अंतर्गत दसूहा उपमंडल में अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) तथा सहायक स्टाफ के कुल पांच पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक कार्यों, राजस्व मामलों, अनुमतियों और जन शिकायतों के निपटारे के लिए जिला मुख्यालय तक बार-बार नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इन फैसलों को पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा, उद्योग, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

## बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध मान सरकार, वृद्धाश्रमों को 15.70 करोड़ रुपये की सहायता : डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़, 22 जून : पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के बुजुर्गों की देखभाल और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए पिछले तीन वर्षों में 18 सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों को 15.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 4.93 करोड़ रुपये, 2024-25 में 6.67 करोड़ रुपये तथा 2025-26 में 4.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। वर्तमान में इन वृद्धाश्रमों में 641 बुजुर्गों को आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनका सम्मान व संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना भी है।

## गैंगस्टरों ते वार' अभियान के 153वें दिन 337 गिरफ्तार, 579 ठिकानों पर पंजाब पुलिस की छापेमारी

चंडीगढ़, 22 जून : पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर-मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'गैंगस्टरों ते वार' अभियान के 153वें दिन पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के 579 चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी की।

इस दौरान तीन हथियारों सहित 337 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 103 लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई। पुलिस ने तीन भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में 20 जनवरी 2026 से शुरू इस अभियान के तहत अब तक कुल 39,420 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 पर गोपनीय रूप से गैंगस्टरों और आपराधिक गतिविधियों संबंधी जानकारी साझा करें।

## 30 जून तक पंजाब होगा 'ओपन मैनहोल फ्री', लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : हरजोत सिंह बैंस

चंडीगढ़, 22 जून : पंजाब सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के सभी शहरों को 30 जून 2026 तक 'ओपन मैनहोल-फ्री' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्थानीय निकाय मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने सभी नगर निगम कमिश्नरों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों (शहरी विकास) को निर्देश जारी करते हुए तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'मिशन क्लीन पंजाब' के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर किए गए सुरक्षा ऑडिट के दौरान मानसून सीजन से पहले विभिन्न शहरों में कुल 1451 खुले मैनहोल चिन्हित किए गए थे, जो आम लोगों के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। इनमें से 1000 से अधिक मैनहोलों को पहले ही सुरक्षित रूप से बंद किया जा चुका है, जबकि शेष मैनहोलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कवर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में खुले मैनहोल हादसों का बड़ा कारण बनते हैं और कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि खुले मैनहोल विशेष रूप से बारिश के दिनों में 'मौत के कुएं' साबित हो सकते हैं। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने इस अभियान के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभियान की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग ने एक ए.आई.-एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की है, जिसके माध्यम से खुले मैनहोलों को बंद करने की प्रक्रिया की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा सभी सिविल अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फील्ड निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यों की समीक्षा की जा सके।

सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में विशेष वार रूम भी स्थापित किए हैं, जहां तैनात कर्मचारी 24 घंटे जलभराव, सीवर जाम और मानसून से जुड़ी शिकायतों की निगरानी करेंगे। स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव श्री घनश्याम थोरी ने बताया कि लक्ष्य पूरा करने के लिए अब केवल आठ दिन शेष हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब सरकार का यह अभियान राज्य के शहरों को सुरक्षित, स्वच्छ और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे मानसून के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

## सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पैदल यात्रियों के अधिकारों को दी संवैधानिक मजबूती, संसद में उठाए गए मुद्दे को मिला समर्थन : मीत हेयर

चंडीगढ़, 22 जून : आम आदमी पार्टी के संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पैदल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों नागरिकों के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी महत्व का निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन मुद्दों को मजबूती प्रदान करता है जिन्हें उन्होंने पहले लोकसभा में उठाया था और जिन पर केंद्र सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था।

मीत हेयर ने कहा कि उन्होंने 31 जुलाई 2025 को लोकसभा में प्रश्न के माध्यम से केंद्र सरकार से यह जानना चाहा था कि क्या वह राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे या उन्हें पार करने वाले पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और अन्य गैर-मोटर चालित सड़क उपयोगकर्ताओं के सुरक्षित आवागमन के अधिकार को मान्यता देती है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि इन वर्गों के लिए सुरक्षित और सुलभ बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट नीति या दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के बजाय केवल मौजूदा दिशानिर्देशों, सर्वेक्षणों और सड़क सुरक्षा ऑडिट का हवाला देते हुए औपचारिक जवाब दिया था। सरकार ने सुरक्षित आवागमन को नागरिकों के अधिकार के रूप में स्वीकार करने या राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा विकसित करने की कोई ठोस रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की थी।

मीत हेयर ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट और ऐतिहासिक फैसले में यह घोषित कर दिया है कि पैदल चलने का अधिकार भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह मान्यता बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब न्यायपालिका ने इस विषय पर महत्वपूर्ण संवैधानिक स्पष्टता प्रदान की है। सांसद ने कहा कि यह फैसला पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है।

SQUARENET
Innovation & Excellence

Microsoft Solutions Partner | Google Cloud Partner | aws partner network

Zoho Mail | Google Workspace | Microsoft 365

Are you looking for a reliable
EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from SquareNet

Secure & Reliable | Professional Email | Cloud Integration | 24/7 Expert Support | Scalable for Every Business

Advertisement

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com
mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

herbegy™
Think pure think herbal

# PREMIUM SPICES RANGE

## Pure Spice. Rich Flavour.

## PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.